

# मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत गव्य विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
कोडरमा।

पासपोर्ट साईज  
का फोटो  
छिपकाएँ

महाशय,

मैं एक पशुपालक/दुग्ध उत्पादक हूँ। मेरा पूर्ण विवरण निम्नवत है -

1. नाम :- .....
2. पिता/पति का नाम :- .....
3. उम्र :- ..... जाति :- (SC/ST/Others) ..... बी०पी०एल० सं० :- .....
4. यदि आवेदक बी०पी०एल० है तो बी०पी०एल० संख्या .....
5. यदि आवेदक ए०पी०एल० है तो निचे के उपयुक्त बॉक्स में टिक करें (✓)  
विधवा  निःसंतान  तलाकशुदा  परित्यक्ता  विकलांग
6. पूरा पता ग्राम ..... पो० .....  
पंचायत ..... प्रखण्ड .....
7. उन्नत/संकर नस्ल के दुधारू पशु की संख्या वर्तमान में आवेदक के पास उपलब्ध दुधारू पशुओं की संख्या :-  
गाय :- ..... भैंस ..... बछिया :- .....
8. बैंक का नाम :- ..... खाता सं० .....  
शाखा ..... (आई०एफ०सी० कोड) IFSC Code :- .....  
(बैंक पासबुक की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न)।
9. आधार नंबर :- ..... (स्पष्ट छाया प्रति संलग्न)।
10. मोबाईल नंबर :- .....
11. हरा चारा उत्पादन करने हेतु सहमति :- हाँ  नहीं

मैं निम्नलिखित योजना में शामिल होकर लाभान्वित होना चाहता / चाहती हूँ -

जिस योजना का लाभ लेना है उसके सामने अंकित बॉक्स में सही  का निशान लगाएँ।

- (i) दो दुधारू गाय वितरण की योजना (बी०पी०एल० श्रेणी की केवल ग्रामीण महिला लाभुकों के लिए)।
- (ii) दो दुधारू गाय वितरण की योजना (ए०पी०एल० श्रेणी की ग्रामीण महिला लाभुकों के लिए)।
- (iii) कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजनान्तर्गत मिनी डेयरी (05 गाय) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए 25% अनुदान पर।
- (iv) कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजनान्तर्गत मिनी डेयरी (05 गाय) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति के लिए 33.33% अनुदान पर।
- (v) कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजनान्तर्गत मिनी डेयरी (10 गाय) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए 25% अनुदान पर।
- (vi) कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजनान्तर्गत मिडो डेयरी (10 गाय) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति के लिए 33.33% अनुदान पर।

कामधेनु डेयरी फार्मिंग की योजना के आवेदन द्वारा अनुदान-सह-बैंक ऋण/लाभुक अंशदान द्वारा योजना लेने की सहमति (I) अनुदान-सह-बैंक ऋण  (II) अनुदान-सह-लाभुक अंशदान

नोट :- अनुदान-सह-बैंक ऋण की स्थिति में बैंक का नाम एवं पता .....

- (vii) पशु आहार एवं चारा विकास योजनान्तर्गत हस्त एवं विद्युत चालित चैफ कटर का वितरण की योजना।

• हस्त चालित चैफ कटर  विद्युत चालित चैफ कटर

- (viii) प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता की योजना। संख्या

• मिल्कींग मशीन।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• वर्मी कम्पोस्ट यूनिट।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• डीप बोरिंग।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• काउ मैट (Cow Mat)।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त आवेदित योजना (केंद्र प्रायोजित/राज्य प्रायोजित) का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

ग्राम सभा की अनुमति -

पशुपालक का हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान  
का हस्ताक्षर

पंचायत सचिव  
का हस्ताक्षर

मुखिया / प्रधान कार्यकारी समिति  
का हस्ताक्षर

## घोषणा पत्र

मैं श्रीमती/सुश्री ..... उम्र .....

पिता/पति का नाम ..... ग्राम ..... पो0 .....

पंचायत ..... प्रखण्ड ..... थाना .....

आधार नं0 ..... मोबाईल नं0- .....

श्रेणी - (उपयुक्त कॉलम में सही निशान  लगाएं)

परित्यक्ता	<input type="checkbox"/>	विधवा	<input type="checkbox"/>
निः संतान	<input type="checkbox"/>	विकलांग	<input type="checkbox"/>
तलाकशुदा	<input type="checkbox"/>	लघु/सीमान्त कृषक	<input type="checkbox"/>

शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि :

1. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी संस्थागत भूमि का धारक नहीं है।
2. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य पूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक नहीं है।
3. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य पूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा पूर्व अथवा वर्तमान लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद के सदस्य, पूर्व अथवा वर्तमान नगर निगम के महापौर/पूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं हैं।
4. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग/लोक उपक्रमों एवं उनसे सम्बद्ध कार्यालयों/सरकारी स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सभी कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/समूह घ के कर्मी को छोड़कर) नहीं हैं।
5. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सभी सेवानिवृत्त/अवकाश प्राप्त पेंशनर, जिनका मासिक पेंशन 10,000/- रु0 अथवा उससे अधिक हो ( मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/समूह घ के कर्मी को छोड़कर) नहीं हैं।
6. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य द्वारा पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान नहीं किया गया है।
7. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य पेशेवर संस्थाओं से निबंधित सभी पेशेवर यथा चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं आर्किटेक्ट पेशा में संलिप्त नहीं हैं।

उपर्युक्त कंडिका 1 से 7 में अंकित कथन पूर्णतः सत्य है एवं यह घोषणा-पत्र मैं (पूरे होशो-हवास में) बिना किसी भय, दबाव तथा प्रलोभन के हस्ताक्षरित कर रही हूँ।

प्रतिहस्ताक्षरित

शपथकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

मुखिया/प्रधान कार्यकारी समिति

..... ग्राम पंचायत